

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए</p>
-----------------------	--	---

जिद या वाली का दक्षिणी पूर्व
कोन पर कला है। जिसे प्रांतका (का)
ने लीखा किता है। अतः 9/5
वासी रात्रीनामा के आधार पर
लीखा किता गकर 3/5
मासाप के 19000 437 वी 34.15 (का)
पूर्व में दक्षिणी पूर्व कोन की
2 द्वाबा पूर्व वाली के कोन
स्वालेदारी घोषित की जाती है।
यकी डिक्की जाती है। फताववी
फैदल सुभा होकर दक्षिण पूर्व
ही

सहायक कलेक्टर (मु.)
नामौर

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत.सहायक कलक्टर (मु.) नागौर कैम्प कोर्ट माणकपुर
बइजलास ए. एच. गौरी. आर. ए. एस.

जगनाथ पुत्र सुरजमल जाति बावरी निवासी लालाप तहसील मूण्डवा जिला नागौर

वादी

बनाम

1. श्रीमति भुरी पत्नी स्व. मांगुराम
2. घासीराम पुत्र स्व. मांगुराम
3. भीरबल पुत्र स्व. मांगूराम तमाम जाति बावरी निवासीगण लालाप तहसील मूण्डवा जिला नागौर
4. तहसीलदार मूण्डवा प्रतिवादीगण

वाद वास्ते घोषणा खातेदारी, बंटवाडा एंव स्थाई निषेधाज्ञा
वाद अधीन धारा 88, 53 व 188 राज. टिनेन्सी एक्ट

मुकदमा नं 244 सन् 2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू
बहाजरी मिनजानिब मुदई ब
मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुकम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वाद
वादी राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम लालाप के खसरा नम्बर 437
की 34.15 बीघा भूमि में सें दक्षिणी पूर्वी कोने की 2 बीघा भूमि वादी के नाम खातेदारी
घोषित की जाती है।

बीज मुबलिग. बाबत् खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व
शरह फीसदी सालाना आज की तारीक ब तारीक वसुलवाबी तक. को अदा
करें।

बसब्त मेरें दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26.05.2016 को जारी की
गई ।

(स.एच.गौरी)
आर.ए.एस. (3)

सहायक कलक्टर (मु.) नागौर

मुहर

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	—	—	स्टाम्प वकालात नामा	—	—
स्टाम्प वकालात नामा	—	—	स्टाम्प अर्जी	—	—
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	महनताना वकील पर	—	—
महनताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान	—	—
खर्चा गवाहान	—	—	फीस कमिश्नर	—	—
फीस कमिश्नर	—	—	बबत् इजराय हुक्मनामा	—	—
बबत् इजराय हुक्मनामा	—	—	मुतफर्रिक	—	—
मुतफर्रिक	—	—			
मीजान	—	—	मीजान	—	—

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का , चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो नहीं तय करना चाहिए।

(ए.एच.गौरी)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (मु.) नागौर